



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-04072026-274091
CG-CG-E-04072026-274091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3456]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948

No. 3456]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 1 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 3591(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना "खरसिया – नया रायपुर– परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)" दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निष्पदान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलौदा बाजार में आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हित बद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त, अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदा बाज़ार, जिला— बलौदा बाज़ार-भाटापारा छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायें तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि या रेखांकन एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

“खरसिया—नयारायपुर—परमालकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)” परियोजना के निर्माण के लिए, बलौदा बाज़ार-भाटापारा जिले के अंतर्गत, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिला का नाम :- बलौदा बाज़ार – भाटापारा

(राज्य छत्तीसगढ़)

क्र. संख्या	तहसील	गाँव का नाम	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	बलौदा बाजार	चांपा	58/1ख	0.002
2.			211/4	0.002
कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =				0.004
3.	बलौदा बाजार	सकरी	221	0.1617
कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =				0.1617
4.	बलौदा बाजार	ठेलकी	5/14	0.0405
5.			16/5	0.6561
कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =				0.6966
6.	बलौदा बाजार	रिसदा	3312/3	0.2080
7.			3306/2	0.1010
8.			2996/2	0.1290
9.			1116/2	0.3343
10.			1240/2	0.0490
कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =				0.8213
सम्पूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में =				1.6836

[फा. सं. डीसीई/सी/बीएसपी/5वीं एवं 6वीं लाइन /केएचएस—पीएमएस/20क/]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)
NOTIFICATION

Bilaspur, the 1st July, 2026

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 3591(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” **Baloda Bazar- Bhatapara** in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely **Sub Divisional officer (Revenue), Baloda Bazar, Dist.-Baloda Bazar- Bhatapara**, Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” **Baloda Bazar- Bhatapara** District in the state of Chhattisgarh.

Name the District: Baloda Bazar – Bhatapara

(State Chhattisgarh)

No.	Tahsil	Name of village	Khasra Number	Area (in hectares)
1.	Baloda Bazar	Champa	58/1 ख	0.002
2.			211/4	0.002
Total area in hectares =				0.004
3.	Baloda Bazar	Sakri	221	0.1617
Total area in hectares =				0.1617
4.	Baloda Bazar	Thelki	5/14	0.0405
5.			16/5	0.6561
Total area in hectares =				0.6966
6.	Baloda Bazar	Risda	3312/3	0.2080
7.			3306/2	0.1010
8.			2996/2	0.1290
9.			1116/2	0.3343
10.			1240/2	0.0490
Total area in hectares =				0.8213
Area of the entire square in Hectares = 1.6836				

[F. No. DCE/C/BSP/5th & 6th line/KHS-PMS/20/A/]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)